बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–11(नि.)/वि–33/2026 797 पटना, दिनांक 21-7-2026

विभागीय अधिसूचना संख्या–656 दिनांक–25.06.2026 के द्वारा **बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026** अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत स्थानान्तरण संबंधित सभी कार्य विभागीय पोर्टल (ई–शिक्षाकोष) के माध्यम से किया जाना है। स्थानान्तरण नियमावली के क्रियान्वयन हेतु ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर स्थानान्तरण माडयूल विकसित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। इसमें कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है, ताकि विश्वसनीय एवं यूजर फ्रेंन्डली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 के नियम–7 में देय शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से अधिसूचित किया जाता है:–

(1) प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(ix) में अंकित पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त्त को मात्र स्थानान्तरण हेतु आवेदन देने के निमित शिथिल रखा जायेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

(3) स्थानान्तरण हेतु सेवा अवधि, कार्यानुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि (यथा 31 मार्च 2026) कट–ऑफ–डेट रहेगा।

(4) विगत दो वर्षों में स्थानान्तरित शिक्षक (पारस्परिक स्थानान्तरण सहित) भी इस चरण के स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे।

(5) विभाग द्वारा निर्गत मानक मण्डल के आधार पर विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता के गणना हेतु शैक्षणिक सत्र 2025–26 के नामांकन को आधार माना जायेगा।

(6) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार ही प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की आवश्यकता का आकलन किया जाय। चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5) के लिए प्रधान शिक्षक का एक–एक पद सृजित किया गया है एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में इन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किया गया है। ऐसे में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 01 (एक) प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रखा जाना अपेक्षित होगा। शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय में कम–से–कम एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। कक्षा 6 से 8 के लिए

पत्रांक–1936, दिनांक–22.06.2026 की कंडिका (ख) के आलोक में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है एवं आकलन के क्रम में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक वर्ग कक्ष की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखा जाना अपेक्षित होगा। कक्षा 6 से 8 में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार अधिकतम 12 शिक्षक का प्रावधान किया जा सकेगा।

(7) समायोजन/समानुपातीकरण हेतु अधिशेष शिक्षकों वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी।

(8) अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(i) पाँच (05) वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो, उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जायेगा। पाँच (05) वर्ष या इससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या एक से अधिक हो, तो पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षक को चिह्नित किया जायेगा।

(ii) किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि पाँच (05) वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप चिह्नित किया जायेगा।

(iii) अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल–आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मानदंडों को आधार बनाया जायेगा।

(9) अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन/ स्थानान्तरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक अधिशेष शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से रिक्ति (शिक्षक आवश्यकता) वाले विद्यालयों की सूची में से अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दे सकते हैं।

यदि अधिशेष शिक्षक को उसके द्वारा जिला के अन्दर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे, जबतक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। शिक्षक आवश्यकता वाले एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुलग्नक–1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किया जायेगा।

Rahul.

(10) ऐसे अधिशेष शिक्षक, जो अन्तर जिला/अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हों, वे 5–5 जिला/5–5 प्रमण्डल का विकल्प दे सकेंगे, जिसके आधार पर प्रथमतः जिला/प्रमण्डल आवंटन पर नियमानुकूल विचार किया जा सकता है। परन्तु संबंधित शिक्षक को अन्तर जिला/अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण अथवा जिला/प्रमण्डल के अन्दर स्थानान्तरण में से कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा।

जिला एवं प्रमण्डलीय संवर्ग के ऐसे अधिशेष शिक्षक, जिनका अन्तर जिला या अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानान्तरण अंतर्गत आवंटित जिला/प्रमण्डल में अधिकतम 30 विद्यालयों में स्थानान्तरण विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन नहीं होता है, तो उनका जिला/प्रमण्डल का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(11) ऐसे शिक्षक; जिसकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें समानुपातीकरण के लिए चिह्नित नहीं किया जायेगा। बशर्ते वे स्वयं समानुपातीकरण के तहत शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में जाने हेतु इच्छुक हो।

(12) सर्वप्रथम समायोजन/समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी, जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षकों का जिला के अन्दर ही समायोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षकों का प्रमंडल के अन्दर समायोजन किया जा सकेगा।

(13) तत्पश्चात् पारस्परिक स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सभी तरह के पारस्परिक स्थानान्तरण के मामलों पर जिला/प्रमण्डल/राज्य स्थापना समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(14) समायोजन/समानुपातीकरण एवं पारस्परिक स्थानान्तरण पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार संशोधित रिक्ति प्रकाशित की जायेगी।

(15) पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरांत सामान्य स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत जिला/प्रमण्डल के अन्दर एवं अन्तर जिला एवं अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण पर भी विचार किया जाएगा। जिला एवं प्रमण्डल के अन्दर स्थानान्तरण हेतु शिक्षकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकेगा। सामान्य स्थानान्तरण के तहत अन्तर जिला एवं अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण हेतु पात्र एवं इच्छुक शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों द्वारा क्रमशः 5–5 जिले एवं 5–5 प्रमण्डल का विकल्प दिया जा सकेगा। परन्तु संबंधित शिक्षक/प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक को अन्तर जिला/अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण अथवा जिला /प्रमण्डल के अन्दर स्थानान्तरण में से कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। जिला संवर्ग एवं प्रमंडल संवर्ग के शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों को क्रमशः अन्तर जिला एवं अन्तर प्रमण्डलीय स्थानान्तरण की कार्रवाई राज्य स्थापना समिति द्वारा की जायेगी। जिला संवर्ग के शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों को जिला आवंटन के उपरांत जिला स्थापना समिति द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जायेगा। इसी प्रकार प्रमंडलीय

संवर्ग के शिक्षकों /प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल आवंटन के उपरांत प्रमण्डलीय स्थापना समिति द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जायेगा। राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का विद्यालय आवंटन राज्य स्थापना समिति द्वारा किया जायेगा।

(16) ऐसे शिक्षक, जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानान्तरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानान्तरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानान्तरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(17) जिला संवर्ग के शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानान्तरित शिक्षक/प्रधान शिक्षक /प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानान्तरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित शिक्षक/प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक की विषयवार/संवर्गवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों का अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानान्तरित शिक्षक/प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानान्तरित प्रमण्डल में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित शिक्षक/प्रधानाध्यापक की विषयवार/ संवर्गवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी।

(18) यदि किसी एक विद्यालय के लिए दो महिला शिक्षिका द्वारा आवेदन किया गया है, तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखण्ड वाली महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी प्रकार किसी एक विद्यालय के लिए दो पुरूष शिक्षक द्वारा आवेदन किया गया है, तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह जिला वाले पुरूष शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में विभाग द्वारा वरीयता से संबंधित निर्गत आदेश के अनुसार दावे का निष्पादन किया जायेगा।

(19) श्रेणी आधारित अंक निर्धारण के उद्देश्य से मकान किराया भत्ता के आधार पर विद्यालयों के 04 श्रेणी यथा श्रेणी–1 (मकान किराया भत्ता 20 प्रतिशत), श्रेणी–2 (मकान किराया भत्ता 10 प्रतिशत), श्रेणी–3 (मकान किराया भत्ता 7.5 प्रतिशत) एवं श्रेणी–4 (मकान किराया भत्ता 5 प्रतिशत) होगें।

(20) गंभीर चिकित्सा स्थिति, असाध्य रोग/गंभीर बीमारी एवं दिव्यांगता संबंधी दावों पर विचार केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर किया जाएगा।

गंभीर चिकित्सा स्थिति अथवा असाध्य बीमारी के मामलों में प्रमाण–पत्र जिला के सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक होगा।

दिव्यांगता संबंधी दावों के लिए प्रमाण–पत्र लागू नियमों के अनुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो।

Rahul.

विभाग किसी भी चिकित्सीय अथवा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु जिला/राज्य चिकित्सा बोर्ड को संदर्भित कर सकेगा।

(21) सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के रूप में चयनित विद्यालयों में आवश्यकता आधारित विषयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जा चुकी है, इसलिए छात्र हित में ऐसे विद्यालयों को इस स्थानान्तरण की वर्तमान प्रक्रिया से अलग रखा जायेगा।

(22) इस नियमावली के प्रवृत होने के उपरांत स्थानान्तरण के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी मार्गदर्शिका रद्द समझी जायेंगी। साथ ही विद्यालय अध्यापकों/विशिष्ट शिक्षकों/सहायक शिक्षक/प्रधानाध्यापकों/प्रधान शिक्षकों द्वारा पूर्व में विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन मोड में जिलों एवं शिक्षा विभाग के स्तर पर स्थानान्तरण हेतु समर्पित सभी आवेदन विचारण हेतु योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(23) विभागीय पोर्टल ई–शिक्षाकोष के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों, आपत्ति, शिकायत सामान्यतः स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।

(24) किसी विषम अथवा आकस्मिक परिस्थिति में उपर्युक्त मानक संचालन प्रक्रिया में विचलन /संशोधन का अधिकार सचिव, शिक्षा विभाग को सुरक्षित रहेगा।

उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से

21-7-26

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– 11(नि.)/वि–33/2026 797 पटना, दिनांक 21-7-2026

<u>प्रतिलिपि</u>:– सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव /माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21-7-26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

Rahul.